

655

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)

कार्यालय आदेश सं०- 05

पटना, दिनांक- 02/02/26

विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की दिनांक-22.01.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सम्पन्न बैठक की अनुशंसा के आलोक में ACP नियमावली, 2003 एवं MACP नियमावली, 2025 में निहित प्रावधानों के तहत श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय (तकनीकी सहित) के आशुलिपिक/ आशुटंकक संवर्ग के निम्नांकित कर्मियों को उनके नाम के समक्ष स्तंभ-7 में अंकित तिथि से एवं वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन स्तर) में ACP/MACP की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	कर्मियों का नाम, पदनाम एवं कार्यालय	जन्म तिथि सेवानिवृत्ति	सेवा में योगदान एवं सेवा सम्पुष्टि की तिथि	पूर्व में स्वीकृत ACP/MACP की तिथि एवं वेतनमान	12/24 एवं 10/20/30 वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि	स्वीकृत ACP/MACP की देय तिथि एवं वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री लाला चन्द्रशेखर, सेवानिवृत्त आशुटंकक, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक का कार्यालय, पटना।	01.01.1960 31.12.2019	03.09.1991 26.04.1997	प्रथम ACP 03.09.2003 4500-7000 द्वितीय MACP 03.09.2011 9300-34800 GP-4600	12 वर्ष 03.09.2003 20 वर्ष 03.09.2011	पूर्व में दि०- 03.09.2003 से स्वीकृत प्रथम ACP (4500-7000) एवं दि०-03.09.2011 से स्वीकृत द्वितीय MACP (9300-34800 GP-4600) यथावत्।	वित्त विभागीय संकल्प सं०-3011 दिनांक- 20.03.2012 के तहत आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के मूल कोटि से ऊपर प्रोन्नति के पदसोपान के लिए वेतन पुनरीक्षण दिनांक- 01.01.2006 से प्रभावी है, जबकि प्रथम ACP दि०-03.09.2003 से मिला है। तदालोक में प्रथम ACP एवं द्वितीय MACP बिना किसी संशोधन के यथावत्।

- वित्तीय उन्नयन के आदेश में भविष्य में त्रुटि पाये जाने पर संशोधन का अधिकार श्रमायुक्त, बिहार में सन्निहित होगा। इस आधार पर कम या अधिक भुगतान की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा एकमुश्त वसूली कर ली जायेगी।
- संबंधित पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मियों को उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार।

- ज्ञापांक-2/बी०एस०सी०ई०१-59/2016 श्र०सं०- 579 पटना, दिनांक- 02/2/26
- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/श्री लाला चन्द्रशेखर, सेवानिवृत्त आशुटंकक, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक का कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/1/26
श्रमायुक्त, बिहार।